सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-244/2020/477/22-2-2020-17(536)/2017

लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर** के सिद्धदोष **बन्दी रणधीर (बन्दी संख्या-392/2018) पुत्र श्री गजे सिंह, जो-गोयला, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-43/2007** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34** के अधीन **दिनांक 19.07.2010** को **मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-7), मुजफ्फरनगर** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की बृद्धावस्था, कारावास की भोगी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण, जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति एवं कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं, तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-244/2020/477(1)/22-2-2020 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in